

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-12022021-225128
SG-DL-E-12022021-225128

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 57]	दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 12, 2021/ माघ 23, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 325
No. 57]	DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 12, 2021/MAGHA 23, 1942	[N. C. T. D. No. 325

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 12 फरवरी, 2021

सं. फा. 6/24/2019—न्यायिक/अधी.विधि/216—219.—विशेष राहत अधिनियम, 1963 की धारा 20ख के प्रावधानों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से आधारभूत संरचना परियोजना से संबंधित संविदाओं के संबंध में उक्त अधिनियम के अंतर्गत मुकदमों के संचालन और क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने हेतु विशेष राहत अधिनियम, 1963 की धारा 20ख के तहत वे जिले जहां केवल एक न्यायालय जिला न्यायाधीश (वाणिज्य न्यायालय) है, ऐसे न्यायालय और प्रत्येक जिले में न्यायालयों के वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश को विशेष न्यायालयों के रूप में और प्रत्येक जिले के न्यायालय जिला न्यायाधीश (वाणिज्य न्यायालय)—01 के रूप में नामित करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS**NOTIFICATION**

Delhi, the 12th February, 2021

No. F. 6/24/2019-Judl./Suptlaw/216-219.—In pursuance of the provisions of Section 20B of the Specific Relief Act, 1963, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with the High Court of Delhi, is pleased to designate the Court of District Judge (Commercial Court)-01 of every district; the districts where only one court of District Judge (Commercial Court), such Court; and the Courts of Senior Civil Judge in every district as Special Courts under Section 20B of the Specific Relief Act, 1963 to exercise jurisdiction and to try suits under the said Act in respect of contracts relating to infrastructure projects.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

SANJAY KUMAR AGGARWAL, Principal Secy. (Law, Justice & L.A.)